कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–राजगढ़

क्रमांक / 537 /स्था.निर्वा. /2021 राजगढ़, दिनांक 8/11/2021

:: संक्षिप्त निविदा आमंत्रण पत्र ::

01 त्रि–स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन–2021–22 हेतु मतगणना केन्द्र पर मतगणना में लगे हुए अधिकारी/कर्मचारियों तथा सुरक्षा स्टॉफ के लिए स्वल्पाहार और भोजन व्यवस्था हेतु दिनांक– 23/11/2021 समय 3:00 बजे तक निविदा आमंत्रित जाती है उक्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 23/11/2021 को 4:00 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय राजगढ में उपस्थित निविदाकारों एवं गठित समिति सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी।

02 इच्छुक निविदाकार 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) का निविदा शुल्क कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला राजगढ कक्ष क्र. 16 में जमा कर अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 23/11/2021 को साय: 3:00 बजे तक निविदा प्रपत्र एवं शर्ते प्राप्त कर सकते है अथवा एक सौ रूपये का डीडी कलेक्टर जिला राजगढ के पक्ष में जमा कर जिले की बेवसाईट rajgarh.nic.in एवं rajgarh.mp.gov.in से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

03 निविदा के साथ 5000.00 (पॉच हजार मात्र) की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यक बैंक की डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) राजगढ के नाम से संलग्न करना होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि निविदाकार को वापस कर दी जावेगी।

04 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला राजगढ का होगा एवं इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार की आवश्यकता नही होगी।

05 निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को कार्यालयीन आदेश मे उल्लेखित स्थान पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी। सामग्री समय पर प्राप्त न होने पर अन्य संस्था से क्रय कर ली जावेगी, तथा इसमें जो अधिक राशि का व्यय होगा, वह निविदाकार को वहन करना होगा।

06 निविदाकर्ता के पास समस्त जीवित पंजीयन यथा खाद्य सुरक्षा अभिनियम 2006 के अतंर्गत FSSAI पंजीयन, गुमास्ता एक्ट, आदि प्रस्तुत करने होगें।

(कमल चन्द्र नागर)
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

पृ0क्रमांक / 538 / स्था.निर्वा. / 2021 राजगढ़,दिनांकः 8 / 11 / 2021

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा दिनांक 23.11.2021 के पूर्व समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जनसंपर्क अधिकारी, राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, आगरमालवा, सिहोर, भोपाल म0प्र0 की ओर कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार सर्व अपने कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करें।
7. श्री एस.बी. पाटीदार जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी राजगढ की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर उक्त निविदा सूचना पत्र एवं प्रपत्र जिला राजगढ की वेवसाईट www.rajgarh.nic.in अपलोड कर अवगत कराने का कष्ट करें।
8. प्रबंधक ई—गर्वनेस जिला राजगढ की ओर उक्त निविदा सूचना को बेवसाईट (rajgarh.mp.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)
जिला–राजगढ़
निविदा फार्म प्रपत्र 1

मूल्य रूपये 100–00 प्रति फार्म

(निविदा आमंत्रण सूचना के तहत निविदा फार्म का प्रारूप)

1 फर्म/एजेंसी का नाम ....

2 फर्म/एजेंसी का पूर्ण पता ....

3 फर्म/एजेंसी का पंजीयन क्रं ....

4 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अतंर्गत पंजीयन क्रं ....

5 **FSSAI के अतंर्गत पंजीयन क्रं** ....

6 **फर्म/एजेंसी के मालिक का आधार नम्बर** ....

7 फर्म/एजेंसी का पैन नम्बर ....

8 फर्म/एजेंसी का जी.एस.टी. नम्बर ....

9 दूरभाष/मोबाईल नं. ....

10 धरोहर राशि का विवरण ....

11 फर्म/एजेंसी प्रोपराईटर का खाता क्रमांक ....

12 बैंक का नाम/शाखा ....

आई.एफ.सी.कोड ....

घोषणा–पत्र

मेरे द्वारा निविदा आमंत्रण पत्र एवं निविदा की निहित शर्तो का भली भॉति अध्ययन कर लिया गया है, तथा उसका अनुबंध पत्र तैयार कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है मुझे निविदा की सभी शर्ते मान्य है। निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्ण सही/सत्य है किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी।

दिनांक ..../ /2021

निविदाकर्ता/फर्म एजेंसी के
संचालक के हस्ताक्षर

दर सूची प्रपत्र–2

स.क्र.	सामग्री का नाम	दर	
		अंको में	शब्दों में
1	नस्ता स्वल्पाहार (पोहा 100 ग्राम, जलेबी 50 ग्राम, समोसा अथवा आलूबडा 70 ग्राम		
2	चाय कट		
3	चाय फुल		
4	कॉफी कट		
5	काफी फुल		
6	मटठा 100 मि.ली.		
7	बिस्किट छोटा साईज पारले जी (50 अथवा 100 ग्राम)		
8	सादा भोजन थाली (6 रोटी/8 पुरी, सब्जी सीजनल 100 ग्राम, दाल फाय 100 ग्राम चावल 100 ग्राम एवं सलाद, रायता एव अचार		
9	भोजन स्पेशल थाली (6 रोटी, सब्जी सीजनल 100 ग्राम, पनीर सब्जी, 100 ग्राम, दाल फाय 70 ग्राम, जीरा राईस 70 ग्राम, रायता 70 ग्राम, अचार पैकेट छोटा एवं सलाद, रसगुल्ले 1 नग, पापड		
10	पानी 1 लीटर बिसलरी बाटल		
11	पानी 500 एमएल बिसलरी बाटल		
12	पानी 200 एमएल बिसलरी बाटल		
13	केम्पर 20 लीटर		

निविदाकर्ता/फर्म एजेंसी के संचालक का नाम......................

पूर्ण पता ....

मोबाईल नम्बर.......................

हस्ताक्षर

प्रपत्र 3

भोजन/चाय/नाश्ता आदि की व्यवस्था हेतु निविदा की शर्ते

01 त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2020-21 के लिए मतगणना केन्द्र पर मतगणना मे लगे हुए अधिकारी/कर्मचारियों को लगने वाले भोजन/चाय/नाश्ता आदि की व्यवस्था किऐ जाने हेतु पंजीकृत निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

02 प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजगढ़ के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जावें।

03 प्रथम लिफाफे में निविदा सामान्य जानकारी प्रपत्र -1 शर्तो की स्वीकृति (घोषणा पत्र) क्रय रसीद, फर्म के जीवित पंजीयन, पेन कार्ड,जीएसटी नम्बर आदि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी।

04 द्वितीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र 2 मे दर सूची अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी होना चाहिये। यदि किसी निविदाकार द्वारा अंकों एवं शब्दों में दी गयी दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में विभाग द्वारा शासन के हित में जो होगा उसे मान्य किया जावेगा।

05 कार्यावधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।

06 कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना/आपदा से होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व इस कार्यालय का न होकर संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा।

07 प्रत्येक निविदाकार/फर्म द्वारा प्रत्येक कार्य के लिये केवल एक ही निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।

08 निविदा से संबंधित किसी भी वाद विवाद पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) राजगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

09 प्रदायकर्ता द्वारा अनुमोदित दर पर खाद्य सामग्री तैयार कर कार्यकम अनुसार बताये गये स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।

10 प्रथम प्राथमिकता उस फर्म को दी जावेगी जिसके द्वारा न्यूनतम दरें दी गई है, उस फर्म के द्वारा असमर्थ होने की स्थिति में अन्य फर्म से कार्य लिया जा सकता है।

11 खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध करानी होगी। यदि खाद्य सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदाकार के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। भोजन पेकेट की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये। पैकिंग में प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

12 भोजन/नाश्ता तैयार करने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का ही उपयोग किया जावे।

13 खाद्य सामग्री में रिफाईन्ड तेल का उपयोग किया जावे। समस्त खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

14 जिस विभाग के द्वारा कार्य आदेश जारी किया गया है, वह समस्त शर्तो का पालन कराने हेतु कार्यवाही करेगा।

15 उक्त दरें समस्त करों सहित मान्य की जावेगी एवं भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार देय कर का कटोत्रा किया जावेगा।

16 प्रदायकर्ता इकाई द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रक्रिया का किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे कार्य से पृथक किया जावेगा।

17 प्रदायकर्ता इकाई को प्रदाय आदेश प्राप्त होने पर विभाग को शपथ पत्र के माध्यम से संतुष्ट करना होगा कि उसका किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नही है।

18 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, वही संस्था खाद्य सामग्री सप्लाई कर सकती है।

19 स्वीकृत दरें आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

20 निविदाकार को ब्लेक लिस्टेड नही होने विषयक शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर देना आवश्यक होगा।

21 स्थल पर लगने वाली सामग्री प्रदाय किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर संबंधित निविदाकार की सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये ब्लेक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

22 दरें स्वीकृत होने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर निविदाकार को जिले अंतर्गत किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी समय सामग्री प्रदाय करने के निर्देश दिये जा सकते है। जिसका भुगतान निविदा अंतर्गत स्वीकृत दरों पर ही किया जायेगा। निविदाकार सामग्रियों को वांछित स्थान पर तुरंत प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। निविदाकार को ऐसी व्यवस्था करना होगी कि उनसे 24 घंटे में किसी भी समय संपर्क किया जा सके। परिवहन राशि पृथक से देय नही होगी।

23 सफल निविदाकार की न्यूनतम दरों पर आवश्यकतानुसार अन्य निविदाकारों से भी कार्य कराया जा सकता है।

24 सफल निविदाकार द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नही कराने अथवा तत्समय निर्मित परिस्थितियों के अनुसार तात्कालिक आवश्यकता की दशा मे स्थानीय बाजार से व्यवस्था की जायेगी। जिस हेतु होने वाली अधिक व्यय की राशि निविदाकार को वहन करनी होगी।

25 निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त सामग्रियों की सुरक्षा के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सामग्री खराब पायी जाने पर तत्काल बदलना भी होगी।

26 निविदाकार के पास अपने कार्य संचालन हेतु सभी आवश्यक शासकीय पंजीयन दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवश्यक है।

27 निविदाकार को निविदा के साथ जीएसटी नम्बर तथा पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतियों के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

28 सामग्री में कमी या वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार कार्यादेश जारी करने वाले अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

29 उपरोक्तानुसार सामग्री हेतु आमंत्रित निविदा दर किसी समय निरस्त करने अथवा पुनः निविदा दर आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला राजगढ़ के पास सुरक्षित होगा।

30 निविदा संबधी शर्ते एवं अन्य जानकारी अधिकृत शासकीय बेवसाईट बेवसाईट rajgarh.nic.in एवं rajgarh.mp.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

31 शासकीय नियमानुसार समस्त प्रकार के करों की कटौत्री की जायेगी। अन्य सभी करों का वहन निविदाकर्ता को करना होगा।

32 समस्त सामग्री की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की रहेगी। प्रदाय सामग्री के सबंध में किसी भी चोरी/हानि/क्षति की स्थिति में कार्यादेश प्रदायकर्ता कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

33 निविदाकार द्वारा दी जाने वाली जानकारी का प्रपत्र संलग्न है। जिसमें जानकारी पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

34 जिस फर्म द्वारा पूर्णरूपेण दस्तावेज उपलब्ध नही कराये जायेंगे वह निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।

35 प्रदायकर्ता के पास वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण–पत्र होना चाहिये एवं विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

36 भोजन तैयार किये जाने वाली सामग्री जैसे कुकिंग गैस बर्तन अन्य सामग्री एवं मानव संसाधन की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।

37 भोजन व्यवस्था में लगने वाले कर्मचारी का आचरण संयमित हो तथा सभी की निर्धारित गणवेश होना अनिवार्य है। प्रत्येक कर्मचारी के ड्रेस पर नाम पटि्टका होना अनिवार्य है।

38 भोजन पकाने एवं वितरण करने वाले कर्मचारी चिकित्सकीय दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हो। तत्संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। भोजन व्यवस्था में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को संक्रामक बीमारी न हो यह सुनिश्चित करना होगा।

39 बचे हुये भोजन, जूठन आदि के समुचित निपटान की व्यवस्था निविदाकार की होगी।

40 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य होगा।

41 सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था निविदाकार की होगी।

42 देयकों की राशि का भुगतान करते समय नियमानुसार कर की राशि की कटौती की जाकर राशि का भुगतान ई–भुगतान पद्धति से उपलब्ध कराये गये बैंक खाते मे किया जावेगा, तथा आवंटन की उपलब्धता अनुसार ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

अपर कलेक्टर
एव उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला राजगढ(ब्यावरा) म0प्र0